

कार्यालय नगर विकास न्यास भिवाडी

क्रमांक 172/12

दिनांक 12/04/2012

श्री सूरजमल पुत्र श्री रामस्वरूप गुर्जर

ग्राम घटाल तहसील सोहना

जिला गुडगावा

विषय:- आवेदक श्री सूरजमल पुत्र श्री रामस्वरूप तहसील तिजारा ग्राम थडा के खसरा नं० 231 कुल रकबा 1.66 है० भूमि पर आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र स्वीकृत के क्रम में।

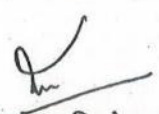
सन्दर्भ:- आपका आवेदन पत्र दिनांक 22.02.2012

आपका आवेदन दिनांक 22.02.2012 द्वारा खसरा नं. 231 कुल रकबा 1.66 है० ग्राम थडा, तहसील तिजारा जिला अलवर, में आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) योजना हेतु भवन मानचित्र प्राप्त हुए है। उक्त भवन मानचित्रो को भवन मानचित्र समिति की 19वी बैठक दिनांक 22.02.2012 में रखा जाकर समिति के निर्णयानुसार उक्त के भवन मानचित्रो को अनुमोदन किए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया उक्त निर्णय की अनुपालना में भवन मानचित्रो की स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

01. यह स्वीकृति जारी होने की तिथि से 5 वर्ष तक मान्य रहेगी।
02. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्रों एवं भवन विनियम, 2011/एफोर्डेबल हॉउसिंग पॉलिसी, 2009 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
03. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जाएगा।
04. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति प्रचलित मास्टर प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, न्यास को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी न्यास में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
05. उक्त स्वीकृति के कारण यदि न्यास को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
06. विकासकर्ता द्वारा प्लिन्थ लेवल, जी+1 एवं समय समय पर निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से न्यास को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को निरस्त समझा जावेगा।
07. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत आवासीय ईकाई एवं स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
08. स्वामी तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में निर्माण कार्य करवायेगा। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घंटे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में न्यास को देनी होगी।

09. स्वीकृत मानचित्र मौके पर, निर्माण पूर्ण होने तक उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
10. भवन परिसर में ही आमुक्तकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगन्तुकों हेतु निःशुल्क बाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
11. भवन विनियम, 2011 के प्रावधानों के अनुरूप विकासर्ता द्वारा भूकम्परोधी प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
12. अग्निशमन दृष्टि से सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये अनापति प्रमाण पत्र की शर्तों की पालना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा।
13. ग्रुप हाउसिंग की योजना में आन्तरिक विकास यथा जल वितरण, ड्रेनेज, सीवरेज, विद्युत वितरण, सड़कें, टेलीफोन लाईन, वर्षा जल संग्रहण, संरचना, स्नानाघर, तथा रसोई के अवशिष्ट जल के शुद्धिकरण हेतु रिसाईकिलिंग की व्यवस्था आदि की समस्त जिम्मेदारी विकास कर्ता की होगी।
14. प्रस्तुत भवन मानचित्रों में वर्षा जल संग्रहण संरचना एवं इस से संबंधित प्रावधानों की पालना भवन विनियम के प्रावधान अनुसार इसकी पालना सुनिश्चित कि जावे।
15. प्लिन्थ लेवल तक निर्माण की सूचना पंजीकृत वास्तुविद से प्रमाणित कर न्यास को सूचित करेंगे। सही निर्माण पाए जाने पर आगे निर्माण जारी रखा जाएगा अन्यथा अनुमोदित/प्रस्तुत मानचित्र (13.4 व 13.5 के प्रावधान में आने वाले प्रकरणों के लिए प्रस्तुत मानचित्र) के विपरीत निर्माण पाए जाने पर संबंधित अतिक्रमण निरोधक अधिकारी द्वारा अवैध निर्माण हटवाने की कार्यवाही की जाएगी।
16. अधिवास प्रमाण-पत्र भवन निर्मित होने के उपरान्त आवश्यक रूप से लिया जाना होगा।
17. पार्किंग का प्रावधान भवन विनियम, 2011 के अनुरूप रखा जाना होगा एवं वाहनो के घूमने/पार्क करने हेतु आवश्यक प्रावधान आवेदक/वास्तुविद द्वारा सुनिश्चित करने होंगे।
18. पर्यावरण सम्बन्धी अनापत्ती प्राप्त करने की समस्त जिम्मेदारी विकास कर्ता की होगी।
19. नियमानुसार सौर ऊर्जा का प्रावधान सुनिश्चित करना होगा।
20. भवन विनियमों में उल्लेखित अन्य सम्बन्धित प्रावधानों की पालना विकास कर्ता द्वारा की जायेगी।
21. भवन मानचित्र जारी करने के उपरान्त अन्य शुल्क/ बकाया राशि न्यास द्वारा मांग की जाती है तो विकासकर्ता द्वारा वह राशि न्यास कोष में जमा करानी होगी।
22. भवन का कुर्सी तल, सड़क के तल से न्यूनतम 0.5 मी० रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।
23. न्यास की अभियांत्रिकी शाखा द्वारा किये जा रहे निर्माण का निरक्षण कर सत्यापन किया जावेगा।
24. फिफ्ट वॉल की अंतिम स्तर 1800 x 1800 ममी की होगी।

ऊपर वर्णित शर्तों एवं भवन विनियम के प्रावधानों के तहत अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।


उपनगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाड़ी

संलग्न:- भवन मानचित्र (28)

क्रमांक: आयोजना/

दिनांक:

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, नगर विकास न्यास, भिवाड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपनगर नियोजक
नगर विकास न्यास,

कार्यालय नगर विकास न्यास, भिवाडी

क्रमांक: 3038/12

दिनांक: 18/10/12

KALKA HOME DEVELOPERS PVT. LTD.
RZ-174B, Gali no. 16 Tughlakabad Extn.,
New Delhi.

विषय: स्टील फ्लोर के ऊपर निर्माण की अनुमति बाबत।

प्रसार: आपका पत्र क्रमांक शून्य दिनांक 16.07.2012

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि आपके द्वारा ग्राम थडा, भिवाडी में निर्माणाधीन Kalka Royal Residency के अन्तर्गत ब्लॉक A एवं C हेतु स्टील फ्लोर के ऊपर निर्माण की अनुमति चाही गई है। उक्त काम में सहायक अभियन्ता एवं कनि० अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार स्टील फ्लोर तक निर्माण कार्य नगर विकास न्यास भिवाडी द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप किया जाने के कारण आपको उक्त परियोजना Royal Residency के ब्लॉक A एवं C के स्टील फ्लोर के ऊपर निर्माण की अनुमति दी जाती है।



अधिकांशी अभियन्ता
नगर विकास न्यास, भिवाडी

कार्यालय नगर विकास न्यास, भिवाड़ी

क्रमांक : 657/14

दिनांक: 22/05/14

Kalka Home Developers PVT. LTD.
RZ -17 B, Gali No -16, Tughlakabad Extn.
New Delhi.

विषय :- स्टील्ट फ्लोर के ऊपर निर्माण की अनुमति बाबत ।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक शून्य दिनांक 5.05.2014 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि आपके द्वारा ग्राम थडा, भिवाड़ी में निर्माणाधीन Kalka Royal Residency के अन्तर्गत ब्लॉक "बी" हेतु स्टील्ट फ्लोर के ऊपर निर्माण की अनुमति चाही गई है। उक्त काम में सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार स्टील्ट फ्लोर तक निर्माण कार्य नगर विकास न्यास भिवाड़ी द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप किये जाने के कारण आपकी उक्त परियोजना Royal Residency के ब्लॉक "बी" के स्टील्ट फ्लोर के ऊपर निर्माण की अनुमति दी जाती है।


अधिशर्मा अभियन्ता
नगर विकास न्यास, भिवाड़ी